**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल**

क्रमांक/एफ–5/786/2016/10–11/1853 भोपाल, दिनांक 30-06-2017

प्रेषक :–

सुनील अग्रवाल (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

**विषयः–** भोपाल जिले में श्यामला हिल्स में जज इन्क्लेव से लगी भूमि पर न्यायायिक अधिकारियों के लिए आवास निर्माण हेतु 2.00 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि लोक निर्माण विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः–1.इस कार्यालय का पत्र क्र./एफ–5/786/2016/10–11/1908, दि. 03.09.2016
2.आपका पत्र क्रमांक 6-MPB029/2016-BHO/360, दिनांक 06.10.2016
3.जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल का पत्र क्रमांक 2817A दिनांक 12.06.2017 एवं क्रमांक/221, दिनांक 13.01.2017

----0----

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, त्वरित संदर्भ हेतु छायाप्रतियां संलग्न है। संदर्भित पत्र (1) द्वारा विषयांकित प्रकरण का न्यायायिक अधिकारियों के लिये आवास निर्माण हेतु 2.00 हेक्टेयर का प्रस्ताव आपको अनुमोदन हेतु भेजा गया था। संदर्भित पत्र (2) आपने भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी गाइड लाइन के पैरा 4.5 (ii) के संदर्भ में पुनः विचार करने हेतु लेख किया गया है, जिसके अनुसार प्रकरण में 1.00 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि दी जाना सम्भव नहीं है। जिसके तारतम्य में आवेदक संस्थान को प्रकरण में 1.00 हेक्टेयर तक वन भूमि का संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया।

आवेदक संस्थान ने संदर्भित पत्र (3) द्वारा इस कार्यालय से अनुरोध किया गया है कि पुनः 1.00 हेक्टेयर का संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलम्ब होगा एवं उनके द्वारा पूर्व प्रस्तावित निर्माण कार्य आवास निर्माण में संशोधन कर प्रशिक्षण संस्थान एवं अस्थाई होस्टल निर्माण करने हेतु लेख किया गया है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में पूर्व प्रेषित प्रस्ताव में से 1.00 हेक्टेयर वन भूमि की प्रथम चरण सैद्धान्तिक अनुमति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

30/6/17

(सुनील अग्रवाल)

–2–

पृ. क्रमांक/एफ–5/786/2016/10–11/ 1854 भोपाल, दिनांक 30-06-2017

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक, भोपाल वृत्त भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) वन मण्डल भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, जवाहर चौक, टी0टी0 नगर, भोपाल, म.प्र.
4. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

30/6/17

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

30/6/17